प्रकरण संख्या 39/2015 प्रभू बनाम श्रीमती काली व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की पैत्रृक व प्रतिवादी संख्या 2 को अपने पति के विरासत से प्राप्त आराजी नंबर 929, 942, 949, 950, 954, 955 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम तेजपुर, तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त आराजियात के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 सहखातेदार होकर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है इसलिए प्रत्यके सहखातेदार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व अधिकार है। उक्त आराजियात के मूल खातेदार विठला जी होकर उनके तीन पुत्र हकरिया, थावरा व शम्भुडा हुए। हकरिया की मृत्यु हो चुकी हैं, जिसकी विधवा प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण उसकी पुत्रियां हैं, जबकि थावरा व शम्भुडा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा होकर वह अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की जानकारी के बिना बाले–बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने आपको हकरिया का दत्तक पुत्र बताकर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली एवं वादीगण से लडाई–झगडा करता है। अतः विवादित आराजियात में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 14.07.2015 से वादीगण को विवादित आराजियात का सहखातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.09.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह झूला उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा तथ्यों का विवेचन नहीं किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:18 IST
Reason: SelfAttested

है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 हकरिया का दत्तक पुत्र होकर विधिवत भूमियां उनके नाम पर दर्ज हुई हैं तथा वह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 अपने पति के घर अन्यत्र निवास करती हैं तथा उनका विवादित आराजियात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादीगण ने हकरिया के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात बाबत् कभी भी चुनौती नहीं दी है, किन्तु अब भूमि की कीमतें बढ़ जाने से उनके मन में खोट आ जाने से उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 हकरिया की पुत्रियां होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उनका वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 929, 942, 949, 950, 954, 955 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता हकरिया का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा हकरिया के फोत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1670 दिनांक 28.04.2011 से दत्तक पुत्र अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीगण हकरिया की पुत्रियां हैं तथा प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि हकरिया को उक्त आराजियात अपने पिता विठला से विरासत से प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि वादीगण की पैत्रृक भूमि होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार उनका समान हक अधिकार व हिस्सा होने से अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 84/2011 निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 14.07.2015 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:18 IST
Reason: SelfAttested

(... प्रसिंह सांगावत)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर